

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(32)वित्त/आब/2017

दिनांक: 11.05.2018

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974 के नियम 11 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित सहायक आबकारी अधिकारी (सामान्य शाखा) को जिला आबकारी अधिकारी (सामान्य वेतनमान) के पद पर पे बैंड 15600-39100 (पी.बी.-3)(ग्रेड-पे 6000) (Level-15 in pay matrix) में स्थानापन्न रूप से एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	रिक्ति दिनांक	विशेष विवरण
1	श्री महावीर प्रसाद शर्मा	01.04.2017	सेवानिवृति दि. 30.06.2017
2	श्री नईम अख्तर	01.04.2017	सेवानिवृति दि. 28.02.2018
3	श्री राम रतन मीणा (एस.टी.)	01.04.2017	-
4	श्री मधुसुदन सैनी	01.04.2017	-
5	श्री संजय सिंह दूलर	01.04.2017	-
6	श्री अनिल कुमार जैन	19.07.2017	-
7	श्री सहदेव सिंह रतनू	19.07.2017	-
8	श्री अनिल कुमार यादव	19.07.2017	-
9	श्री भूपेन्द्र सिंह	01.10.2017	-

उक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर आगामी आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे। संबंधित पद आवश्यकतानुसार अस्थायी तौर पर कमोन्नत/कमावनत किये जाते हैं। संबंधित अधिकारीगण कमोन्नत/कमावनत पदों पर अविलंब कार्य ग्रहण कर पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

आज्ञा से,




(प्रवीण गुप्ता)

शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)/कार्मिक विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अधुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
7. संबंधित अधिकारीगण।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)